

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/13-पार्ट

जयपुर, दिनांक : 06.11.2013

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-

क. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि
1	101/08	श्री शिवराम सिंह कनिष्ठ लेखाकार लेखा शाखा, कृषि आयुक्तालय, जयपुर	4/20, गांधीनगर	31.8.2027
2	143/2008	श्री दीप चन्द वरिष्ठ लिपिक कार्यालय संसदीय सचिव (एन) शासन सचिवालय, जयपुर	4/11E, गांधीनगर	30.4.2020
3	28ए/2009	श्रीमती सरोज यादव नर्स ग्रेड-II महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर	4/28, गांधीनगर	31.7.2037
4	45/2010	श्री हेमन्त गोगल वरिष्ठ लिपिक राज्यमंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/51, गांधीनगर	31.12.2039
5	56/10	श्री रामफूल मीणा सहायक रेडियोफ़ाकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/83, गांधीनगर (4/40, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.8.2034
6	58/2010	श्रीमती सुशीला चौधरी नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/37, गांधीनगर (4/94, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.10.2043
7	65/2010	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा कनिष्ठ लिपिक रजिस्ट्रार सहायकी समितियां, जयपुर	4/100, गांधीनगर	31.3.2020
8	66/2010	श्री यतेंद्र खण्डेलवाल कनिष्ठ लिपिक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, फास्ट ट्रेक कम-1, जयपुर नगर, जयपुर	4/105, गांधीनगर	31.1.2033
9	67/2010	सुश्री प्रीती दवे प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ रसायनज्ञ, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (कार्यालयाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी) भू जल विभाग, डगलाना डूंगरी, जयपुर	4/115, गांधीनगर	30.11.2046
10	152/2010	श्री सुखदेव चौधरी वरिष्ठ लिपिक कार्यालय उप सचिव (जे) मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर	4/140, गांधीनगर	28.2.2023

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जाएगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का काम करावे।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाही अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेंद्र प्रसाद खोरानिया)

(राजेंद्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्बन्ध विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), कृषि आयुक्तालय (लेखा शाखा), जयपुर
4. अधीक्षक, सवाई भानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, राजकीय महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर
7. प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, शासन सचिवालय, जयपुर
8. उप रजिस्ट्रार (प्रशासन), सहकारी समितियां, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा) अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, फार्स्ट ट्रेक (क्रम-1), जयपुर नगर, जयपुर।
10. वरिष्ठ रसायनज्ञ, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, (कार्यालयाध्यक्ष आरण एवं वितरण अधिकारी), भू-जल विभाग झालाना डूंगरी, जयपुर
11. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
13. पब्लिक निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर - कृपया उक्त आदेश को समान्य प्रशासन विभाग को वेब साईट पर अपडेट करने का भ्रम करावे।
14. अधिशाही अभियन्ता, साग0नि0वि0/जन रवा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गौधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
16. सम्बन्धित कर्मचारियों। सम्बन्धित कर्मचारियों में क्रम संख्या 5 एवं 6 पर दर्ज कर्मचारियों को भेज कर लेख है कि नवीन परिवर्तित आवासों का कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवासों को रिक्त करे।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

(मुन्नीलाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव